



व्यावसायिक चयन में लिंग परक रुद्ध धारणाएं एवं महिलाओं का उस पर प्रभाव

सुजीत कुमार यादव

असिस्टेण्ट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग,

नेजाती सुभाषचन्द्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवगाँव, आजमगढ़ (उ. प्र.), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 22.07.2020, Accepted - 24.07.2020 E-mail: hemantkumarasthana1955@gmail.com

सारांश : महिलाओं और पुरुषों के बारे में बनाई गई एकतरफा और अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसी कल्पनाएँ या विवेचनिका प्रयोग बराबर रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है, लिंगपरक या लैंगिक रुद्धधारणाएं कहलाती है। स्त्रियाँ बेअकल होती हैं या स्त्रियाँ भावुक होती हैं या पुरुष अक्षड़ या निर्दर्शी होते हैं, लैंगिक रुद्ध धारणाओं के ही उदाहरण हैं। समाजशास्त्रियों का विचार है कि ये रुद्धधारणाएं सामाजीकरण की प्रक्रिया का ही अंग है। इनके द्वारा बालक- बालिकाओं का लिंग-भूमिकाओं के अनुसार सामाजीकरण किया जाता है। इस प्रकार के सामाजीकरण द्वारा बालकों और बयस्कों को अधिक वैक्तिक और विविध प्रकार के विकास के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है।

कुंजीभूत शब्द- महिलाओं, एकतरफा, अतिशयोक्तिपूर्ण, कल्पनाएँ, प्रयोग, रोजमर्रा, लिंगपरक, भावुक, निर्दर्शी।

अगर लिंग पर रुद्धधारणाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नारी सदैव ही भारतीय समाज में एक कमजोर समूह के रूप में जानी जाती रही है। इतिहास के विभिन्न स्रोतों से इनकी प्रस्तुति का ज्ञान मिलता है तथा इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी युग में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समतुल्य नहीं थी। महिला प्रस्तुति के दृष्टिकोण से इन्हें चार युगों में बाँटा जा सकता है -

1. वैदिक काल,
2. उत्तर वैदिक काल,
3. मध्यकाल या इस्लामिक काल,
4. ब्रिटिश काल तथा उसके पश्चात्।

कई पौराणिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें संपत्ति अर्जित करने तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार था। मैत्री, गार्गी, घोषा, उपाला, संघमित्रा जैसी विदुषी महिलाओं के बारे में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।

उत्तर वैदिक युग में आकर महिलाओं की प्रस्तुति में गिरावट आने लगी, उन्हें शिक्षा संपत्ति आदि अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। गुप्तकाल तक आते-आते इनकी प्रस्तुति में और ज्ञास हुआ जिसके फलस्वरूप इनमें अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि फैलने लगे। मनुस्मृति तथा नारद संहिता में भी नारी चरित्र का नकारात्मक वर्णन मिलता है, जिसमें उन्हें नरक के द्वार सभी पापों की जड़ एवं त्रियाचरित्र जैसे विश्लेषकों से संबोधित किया गया है।

नारी स्थिति का सर्वाधिक पतन मुस्लिम युग में हुआ, इस युग में आकर नारी भोग की वस्तु के रूप में

जानी जाने लगी। बालिका शिशु वध, बालिका भ्रूण हत्या, सती, जौहर, पर्दा प्रथा, बहुपल्ली विवाह, हरम जैसी कुप्रथाएं अस्तित्व में आयी। इस युग में नारी अज्ञानता, अशिक्षा, जादू-टोने, अंधविश्वास आदि का केन्द्र बन गयी तथा यह नारी प्रस्तुति के इतिहास में सबसे काला अध्याय है। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचारों से भारतीय समाज परिचित हुआ, जिसके फलस्वरूप इसके प्रभाव में धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इस आंदोलन में ब्रिटिश, शिक्षाविदों, अधिकारियों, प्रशासकों के साथ-साथ विदेशों में शिक्षा प्राप्त भारतीय समाज सुधारक भी सम्मिलित हुए, जिनमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, जर्सिट्स रानाडे आदि का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता संग्राम में भी नेताओं ने अनुभव किया कि बिना नारी सहभागिता के स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाना कठिन है। फलस्वरूप नारी की राजनैतिक सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। इसी के परिणामस्वरूप सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृतकौर, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित जैसी स्त्रियों का उदय हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारी प्रस्तुति में सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक विधान, कल्याणकारी योजनाएँ, ऋण का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण आदि ने भी नारी की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है।

ऐतिहासिक स्वर्णक्षर -

1. आजाद भारत में सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल बनी।
2. सन 1951 में डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर



- प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनी।
3. सन 1959 में अन्ना चाण्डी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी।
 4. सन 1963 में सुचेता पलानी पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) बनी।
 5. सन 1966 में कमलादेवी चड्होपाध्याय का समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया।
 6. सन 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
 7. वर्ष 1972 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली महिला बनी।
 8. वर्ष 1979 में मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी।
 9. वर्ष 1997 में कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
 10. वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी।
 11. वर्ष 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी।
 12. वर्ष 2017 में निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी।

गौरतलब है कि आजाद भारत में महिलाएँ दिन-प्रतिदिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्यों द्वारा राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। मौजूदा दौर में महिलाएँ नये भारत के आगाज की अहम कड़ी दिख रही हैं। लंबे अरसे के अथक परिश्रम के बाद आज भारतीय महिलाएँ समूचे विश्व में अपने पद चिन्ह छोड़ रही हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुरुष प्रधान रुद्धिवादी समाज में महिलाएँ निश्चित रूप से आगामी स्वर्णिम भारत की नीव और मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, जो सचमुच काबिले तारीफ है।

किन्तु उपरोक्त उपलब्धियाँ वस्तुरिस्ति का मात्र एक पक्ष दर्शाती हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज भी सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 943 महिलाएँ / 1000 पुरुष हैं, वहीं अवयस्क लिंगानुपात की दर 927 (2001) से घटकर 914 (2011) हो गया है। इसी तरह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट में सन 2016 में भारत का स्थान 87वां था और 2017 में 108, वहीं हाल की रिपोर्ट सन 2018 को भी देखा जाय, तो भारत 149 देशों में 108वें स्थान पर ही है अर्थात जैंडर गैप में भी हाल फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। एन.एस. एच.ओ. द्वारा हाल में किए गए अम वन सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान अनुमानित

महिला कर्मी जनसंख्या अनुपात () क्रमशः 26.6: और 23.7: था। वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में अम व्यूरो द्वारा किए गए वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी के अंतिम तीन दौर के सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्रमशः 25.0: ए 29.6: और 25.0: रहा है। इन सारी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यही आभास होता है कि आज भी भारतीय महिलाओं की स्थिति काफी निम्न है। जिसकी वजह लैंगिक रुद्धिवादाएँ ही हैं।

महिलाओं की वर्तमान समस्याएँ -

1. निरक्षरता
2. आर्थिक स्वावलंबन का अभाव
3. अधिकारों से अनभिज्ञता
4. संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी का अभाव
5. घरेलू हिंसा
6. घर तथा कार्यस्थलों पर यौन शोषण
7. दहेज
8. बाल विवाह
9. बालिका शिशु वध तथा भ्रूण हत्या
10. देह व्यापार
11. सार्वजनिक जीवन में सीमित सहभागिता
12. समाज में स्त्री-पुरुष के बीच दोहरे मानदण्ड
13. निर्णय लेने की अक्षमता।
14. पुरुष छात्र से निकलने की प्रतिबद्धता का अभाव
15. रुद्धिवादिता अंधविश्वास आदि।

संवैधानिक तथा सामाजिक विधान आंकड़े का प्रभाव

एक आलोचनात्मक मूल्यांकन- भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक संवैधानिक तथा सामाजिक विधानों के स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसके साथ-साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएँ भी चलाई जाती हैं। किर भी देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, अपराध, दहेज, जैसी समस्याएँ सुलझाने की बजाय और बढ़ रही हैं। मुख्यतः इसका कारण सामाजिक-सांस्कृतिक रुद्धिवादाएँ अधिक हैं, जो कि अभी भी समाज पर धर्म, परम्पराओं तथा पुरुष अधिकार आदि का प्रभाव है। इसी के प्रभावस्वरूप कानून प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। महिलाएँ इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें तथा पुरुष तथा समाज उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सहयोग नहीं कर रहा है। यही कारण है कि 65 वर्षों में जितना विकास किया या स्थिति में सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है।



संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Allen, Michael and S.N. Mukherjee (Eds.) 1990. Women in India and Nepal, New Delhi : Sterling Publishers.
2. Allen, Michael; 1990. The Hindu View of Women, In Allen and Mukherjee (Eds.) Women in India and Nepal, New Delhi : Sterling.
3. Aruna, C. : Rural Widows, Social Structure and Social Support : An Exploration from Network Perspective. Unpublished Doctoral Thesis, Bharathiar University, Coimbatore.
4. Jacobson, D. 1974. "The Women of North and Central India : Goddesses and Wives" in C.J. Matthiasson (Ed.) : Many Sisters : Women in Cross - Cultural Perspectives. New York : Free Press.
5. Kaliappan, U.R. and C. Aruna : 2002. Social Networks and Support for Widows In a Farming Community in Tamilnadu. Report on A Major Research Project Prepared for the University Grants Commission, New Delhi.
6. Krygier, Jocelyn : 1990. "Caste and Female Pollution". In Allen and Mukherjee (Eds.) Ibid.
7. Mandelbaum, D. : The Women of North and Central India : Goddesses and Wives, In Matthiasson (Ed.) Ibid.
